दिनांक 17.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 26/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर से हत्या के मुकदमे मे वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक मौर्या की हत्या का सफल अनावरण, 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16–08–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को मु0अ0सं0 800/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 61(2), 103(1), 49, 54, 352, 351(3) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक मौर्या की हत्या में वांछित 04 अभियुक्तों को जनपद कानपुर कमिश्नरेट से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1. कुलदीप दुबे पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दुबे नि0 चाँदा पो0 महारानी पश्चिम थाना चाँदा जनपद सुलतानपुर हाल पता–एस–661 केशवपुरा आवास विकास 01 थाना रावतपुर कानपुर नगर।
2. अभय कुशवाहा पुत्र धर्मसिंह कुशवाहा नि0 ग्राम धामीखेड़ा पो0 व थाना रावतपुर जनपद कानपुर नगर हाल पता–आवास विकास 45 ए–2ए कल्याणपुर कानपुर नगर।
3. अजीत पुत्र स्व0 रामकिशोर नि0 सिंजई अंकित अग्रवाल पैट्रोल पम्प थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
4. युवराज कुशवाहा पुत्र धर्मसिंह कुशवाहा नि0 ग्राम धामीखेड़ा पो0 व थाना रावतपुर जनपद कानपुर नगर हाल पता–आवास विकास 45 ए–2ए कल्याणपुर कानपुर नगर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः

गंगा इन्क्लेव के पास कल्याणपुर, कानपुर नगर दिनांक 16–08–2025

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधो में लिप्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बध में एस0टी0एफ की विभिन्न इकाईयो/टीमो को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री दीपक कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि दिसम्बर–2024 में हुई अभियुक्त शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक मौर्या की हत्या कानपुर के कुलदीप दूबे एवं अभिषेक मौर्या (मृतक) के

रिश्तेदारों ने करके उसकी लाश को कही छिपा दिये है, वह लोग कानपुर में ही मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 तेज बहादुर सिंह, उ0नि0 हरीश सिंह चौहान, मु0आ0 विनोद यादव, मु0आ0 सरताज अहमद, मु0आ0 सूरज सिंह, मु0आ0 पवन, आरक्षी राम सिंह की टीम द्वारा गंगा इन्क्लेव के पास कल्याणपुर, कानपुर नगर से उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त कुलदीप दुबे, अभय कुशवाहा, युवराज उर्फ अंकुश कुशवाहा व अजीत मौर्या ने पूछताछ में बताया कि शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक मौर्या पुत्र स्व0 राम किशोर मौर्या नि0 सिंजई अंकित अग्रवाल पेट्रोल पम्प थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर (मृतक) रिश्ते में अभय कुशवाहा व अंकुश कुशवाहा के सगे मामा थे। अभिषेक मौर्या उर्फ शेखर मौर्या अभिषेक मौर्या उर्फ शेखर मौर्या के विरूद्ध हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर में मु0अ0सं0 800/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 61(2), 103(1), 49, 54, 352, 351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत था एवं इस अभियोग में उनके विरूद्ध रूपये 50,000/– के पुरस्कार भी घोषित हो गया था। दिनांक 03–12–2024 को अभिषेक उर्फ शेखर मौर्या अपनी बहन रिंकेश के कहने पर अपनी बहन सीमा के घर कानपुर आया था। अभिषेक मौर्या उर्फ शेखर मौर्या के विरूद्ध हत्या का मुकदमा था जिसमें वह फरार चल रहा था। जिसकी वजह से उनको कुलदीप दूबे के घर पर रूकवा दिया था। कुलदीप दूबे द्वारा शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक मौर्या (मृतक) के मुकदमें की पैरवी भी की जा रही थी। अभिषेक मौर्या उर्फ शेखर मौर्या के मुकदमे की पैरवी के लिए कुलदीप ने अभिषेक मौर्या से 10 लाख रूपये की मांग की थी। जिसके लिए अभिषेक की बहन रिंकेश, भांजी ज्योति व बडा भाई अजीत मौर्या ने अभिषेक की पत्नी शालू पर दबाव बनाकर उसके जेवर बिकवा कर 10 लाख रूपये की व्यवस्था करवाई। इस बीच अभिषेक मौर्या उर्फ शेखर मौर्या द्वारा अपनी पत्नी शालू से लगातार कुलदीप के मोबाइल से कुलदीप की टेलीग्राम आईडी से बात की जा रही थी। अभिषेक मौर्या उर्फ शेखर मौर्या ने अपनी पत्नी से रूपये की व्यवस्था करने के लिए कहा था। किन्तु बीच में अभिषेक की बहन सीमा (अभय व अंकुश की मां) ने अभिषेक से 15 लाख रूपये लगने की बात कही। इसी बीच कुलदीप दूबे की महिला मित्र को अभिषेक मौर्या द्वारा परेषान किया जाने लगा, जिस पर कुलदीप दूबे ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कुलदीप ने अभय व अंकुष को बताया कि शेखर मौर्या की मृत्यु हो गयी है। उनकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा क्योकि वह पुलिस मुकदमें में वांछित है और उनके विरूद्ध इनाम घोषित है। यदि पुलिस को पता चला तो हम लोग भी जेल चले जायेगें। इस बात पर सभी लोग ने मिलकर शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक मौर्या (मृतक) की लाश को पनकी नहर में फेक दिये। इसके बाद ज्योति ने दिनांक 16–12–2024 को अभिषेक उर्फ शेखर मौर्या की पत्नी शालू से मुकदमे की पैरवी के लिए

10 लाख रूपये ले लिया। वह दस लाख रूपया अभिषेक के बडे भाई ने लेकर अपने गिरवी रखे जेवर छुडवाये व अपना घर बनवाया। इसके अतिरिक्त जनवरी, 2025 में रिंकेश, ज्योति, सीमा और अजीत ने अपने बीमार पिता के ऊपर दबाव बनाकर वसीयत करवाकर सारी सम्पत्ति अजीत के नाम पर करवा दी। अभिषेक उर्फ शेखर मौर्या की मृत्यु के बाद भी कुलदीप दुबे कई दिनों तक अभिषेक मौर्या उर्फ शेखर मौर्या की पत्नी से नई टेलीग्राम आईडी बनाकर बात करता रहा। जिससे किसी को इन पर शक न हो कि अभिषेक जीवित नही रहा।

सोशल मिडिया पर मृतक की पत्नी ने अज्ञात शव का एक फोटो देखा जिसके हाथ पर गुदे टैटू से उसको शक हुआ कि यह उसका पति है। जिस पर उसकी पत्नी व मृतक का साला थाना अरमापुर, कानपुर में सभी चीजें देखकर शव की शिनाख्त करके अपने पति की पहचान की और मृतक की पत्नी शालू ने इस सम्बंध मे मुकदमा दर्ज कराया। पंजीकृत मुकदमे के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों की नियमानुसार गिरफ्तारी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना अरमापुर, कानपुर नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 30/25 धारा 103(1), 238, 61(2), 3(5), 253 बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शेखर मौर्या पुत्र रामकिशोर मौर्या नि0 मोहल्ला सिंजई निकट अंकित अग्रवाल पेट्रोल पम्प थाना कोतवाली शाहजहांपुर

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	170/2016	411 भा0द0वि0	कोतवाली	शाहजहांपुर
2.	1494/2016	307/504	कोतवाली	शाहजहांपुर
3.	1546/2016	401/411 भा0द0वि0	कोतवाली	शाहजहांपुर
4.	1547/2016	3/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली	शाहजहांपुर
5.	1660/2016	2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986	कोतवाली	शाहजहांपुर
6.	1477/2016	394/411 भा0द0वि0	कोतवाली	शाहजहांपुर
7.	1446/2016	392/411 भा0द0वि0	कोतवाली	शाहजहांपुर
9.	1854/2016	392 भा0द0वि0	सदर बाजार	शाहजहांपुर
10.	1997/2016	397/379/411 भा0द0वि0	सदर बाजार	शाहजहांपुर
11.	1873/2016	397/411 भा0द0वि0	सदर बाजार	शाहजहांपुर
12.	2032/2016	392/411/379 भा0द0वि0	सदर बाजार	शाहजहांपुर
13.	2080/2016	392/411 भा0द0वि0	सदर बाजार	शाहजहांपुर
14.	2046/2016	392/411 भा0द0वि0	सदर बाजार	शाहजहांपुर
15.	800/2024	191(2), 191(3), 190, 61(2), 103(1),49,54,352,351(3) बीएनएस	सदर बाजार	शाहजहांपुर
16.	234/2025	209 बीएनएस	सदर बाजार	शाहजहांपुर

एएनटीएफ–दिनांक 16.08.25 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट वाराणसी द्वारा अवैध मादक पदार्थ हेरोईन की तस्करी कर रहे 01 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 239 ग्राम (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 45 लाख), 01 अदद मोबाइल फोन व नगद 720 रुपया बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ ,अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, लखनऊ, के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक एएनटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक एएनटीएफ यूनिट वाराणसी द्वारा अवैध मादक पदार्थ हेरोईन की तस्करी करनें वाले 01 सक्रिय तस्कर किशन यादव पुत्र स्व0 प्रेमलाल यादव निवासी सलारपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 239 ग्राम अवैध हेरोईन (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 45 लाख रूपये), 01 अदद मोबाईल फोन व नगद 720 रुपया बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी। इस सम्बन्ध में थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी पर मु0अ0स0–538/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि यह माल रामाज्ञा चौबे पुत्र अज्ञात निवासी विरनाथीपुर से खरीद कर छोटी छोटी पुडिया बनाकर आस पास के गाँवों व जनपदों में बेचने के लिये आज निकला था की तभी आप लोगों ने हमें पकड़ लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1.किशन यादव पुत्र स्व0 प्रेमलाल यादव निवासी सलारपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारी का दिनांक/ समय/ स्थान

दिनांक– 16.08.2025 समय– 14.15 बजे, स्थान– गिट्टी बालू की दुकान संकट मोचन के पास खंडहर दुकान के सामने ग्राम उगापुर

बरामदगी का विवरण–

1. 239 ग्राम अवैध हेरोईन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 45 लाख रूपये)
2. 01 अदद मोबाईल फोन
3. नगद 720 रुपया

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए०एन०टी०एफ० टीम यूनिट वाराणसी–

1. उ0नि0 शमी अशरफ शेख एएनटीएफ थाना गाजीपुर।
2. मु0आ0 मुस्लिम अंसारी एएनटीएफ थाना गाजीपुर।
3. मु0आ0 इन्द्रजीत कुमार एएनटीएफ यूनिट वाराणसी।
4. मु0आ0 अभिषेक कुमार एएनटीएफ यूनिट वाराणसी।
5. आरक्षी शक्तिधर पाण्डेय एएनटीएफ यूनिट वाराणसी।
6. आरक्षी आशुतोष त्रिपाठी एएनटीएफ यूनिट वाराणसी।

सहयोगार्थ थाना– चौबेपुर जनपद वाराणसी–

1. उ0नि0श्री दुर्गेश मिश्रा थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. मु0आ0 सुरेन्द्र प्रताप यादव थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

एएनटीएफ थाना मेरठ द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 कुण्टल 75 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त जिसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य (लगभग 03 करोड 18 लाख 75 हजार रूपया), 02 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद डी.एल, 01 अदद मोहर व 4,020 रूपया नगद बरामद किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, के मार्ग दर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के नेतृत्व में एएनटीएफ थाना मेरठ द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 02 अन्तर्राज्यीय सक्रिय तस्कर (1) यासीन पुत्र अली अहमद निवासी खाई खेडा थाना हाफिजगंज जनपद बरेली (2) नाजिर पुत्र जाकिर निवासी मौहल्ला ककरयाई, कस्बा उरला जागीर, थाना बिथरी चैनपुरा जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 12 कुण्टल 75 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त जिसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य (लगभग 03 करोड 18 लाख 75 हजार रूपया), 02 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद आधार कार्ड व 01 अदद डी.एल, 01 अदद मोहर व 4,020 रूपया नगद बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना रहरा जनपद अमरोहा पर मु0अ0सं0 185/25 धारा 8/15C/25/29 एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि साहब यह डोडा इब्राहिम अंसारी के द्वारा मंगवाया गया है। डोडा पोस्ट को सप्लाई करके हम अत्यधिक लाभ कमा लेते है, जिसे हम सब आपस में बाट लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. यासीन पुत्र अली अहमद निवासी खाई खेडा थाना हाफिजगंज जनपद बरेली उम्र करीब 25 वर्ष

2. नाजिर उर्फ अब्दुल्ला पुत्र जाकिर निवासी मौहल्ला ककरयाई, कस्बा उरला जागीर, थाना बिथरी चैनपुरा जनपद बरेली उम्र करीब 32 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय–

दिनांक– 17.08.2025 समय 01.40 बजे स्थान– अमरपाल का सीमेन्ट स्टोर, ग्राम मटीपुरा छपना

बरामदगी का विवरण

1.12 कुण्टल 75 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त(लगभग 03 करोड 18 लाख 75 हजार रूपया)

2. 02 अदद मोबाइल फोन

3.01 अदद आधार कार्ड

4. 01 अदद डी.एल.

5.01 अदद मोहर

6. 4,020 रूपया नगद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ

1.उ0नि0 श्री तुषार सिंह

2. हे0का0 राजेन्द्र कुमार

3. हे0का0 पंकज कुमार

4. हे0का0 नसीम अहमद

5.का0 अंकित कुमार

6.का0 कपिल रावत

7.का0 रोहित

सहयोगार्थ थाना की टीम–

1.प्रभारी निरीक्षक मय हमरारी थाना रहरा अमरोहा

2.उ0नि0 प्रहलाद सिंह थाना हसनपुर अमरोहा

3.हे0का0 अजय सिंह थाना हसनपुर अमरोहा

जनपद फतेहगढ़/थाना को0 मोहम्मदाबाद

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **13 अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **04 अधिया, 02 पोनिया विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 16.08.2025 को थाना को0 मोहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गिरिरामपुर जाने वाले रास्ते पर बनी झोपड़ी से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–रनवीर 2–रनपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 13 अवैध तमंचा विभिन्न बोर , 04 अधिया, 02 पोनिया विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रनवीर के विरूद्ध जनपद मैनपुरी, फतेहगढ़ के विभिन्न थानो में आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त रनपाल के विरूद्ध जनपद फतेहगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना को0 मोहम्मदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रनवीर निवासी ग्राम दुर्गपुर थाना को0मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़, हालपता तकीपुर अम्बेडकरनगर को0मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

2–रनपाल निवासी ग्राम भरतपुर रसूलपुर थाना को0मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1–13 अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–04 अधिया, 02 पोनिया विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद इटावा/थाना बकेवर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 01 ट्रैक्टर**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 17.08.2025 को थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इकनौर तिराहा के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त चन्दू उर्फ चन्द्रशेखर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 ट्रैक्टर, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जालौन, मैनपुरी, इटावा के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्दू उर्फ चन्द्रशेखर निवासी सूजीपुरा थाना भरथना जनपद इटावा।

बरामदगी

1—चोरी का 01 ट्रैक्टर।

2—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

———————